कार्यालय जनपद न्यायाधीश, औरैया।

प्रकीर्ण आदेश संख्या–155/2024 ; दिनांक- अप्रैल 20 , 2024

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहबाद के पत्र संख्या-7356/Main(P)/Admin(A-3); Allahabad Dated: 31.05.2019 में जनपद न्यायालय, औरैया एवं बाह्य स्थित न्यायालय बिधूना, औरैया में माह मई व जून, 2024 में न्यायालय का समय प्रातः 07:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक (भोजनावकाश प्रातः 10:30 बजे से 11:00 बजे तक) निर्धारित किये जाने हेतु दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

डिस्ट्रिक बार एसोसिएशन औरैया एवं सिविल बार एसोसिएशन बिधूना, औरैया द्वारा प्रस्तुत पृथक–पृथक प्रस्ताव दिनांक-06.04.2024 व 08.04.2024 के अनुसार माह मई व जून, 2024 में न्यायालय का समय प्रातः 07:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक निर्धारित किये जाने की सहमति प्रस्तुत की गयी है, जिस पर प्रशासनिक समिति, जनपद न्यायालय, औरैया से आख्या आहूत की गयी। प्रशासनिक समिति द्वारा दी गयी आख्या में जनपद न्यायालय, औरैया एवं बाह्य स्थित न्यायालय बिधूना, औरैया में माह मई व जून, 2024 में न्यायालय का समय प्रातः 07:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक (भोजनावकाश प्रातः 10:30 बजे से 11:00 बजे तक) निर्धारित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

तद्नुसार माननीय उच्च न्यायालय, इलाहबाद के पत्र संख्या उपरोक्त के अनुपालन में जनपद न्यायालय, औरैया एवं बाह्य स्थित न्यायालय बिधूना, औरैया में **माह मई व जून, 2024** में न्यायालय का समय **प्रातः 07:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक (भोजनावकाश प्रातः 10:30 बजे से 11:00 बजे तक)** निर्धारित किया जाता है।

सभी सम्बन्धित सूचित हों।

20/04/2024
(ग्रीश कुमार वैश्य)
जनपद न्यायाधीश
औरैया।
20/4/24

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. श्रीमान महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2. संयुक्त निबन्धक (न्यायिक) (सेवाएं) माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी, औरैया।
4. पुलिस अधीक्षक, औरैया।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, औरैया।
6. सिविल जज (जू.डि.) बिधूना औरैया।
7. जेल अधीक्षक, जिला कारागार, इटावा।
8. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9. अध्यक्ष/महामंत्री, डिस्ट्रिक बार एसोसिएशन औरैया।
10. अध्यक्ष/महामंत्री, सिविल बार एसोसिएशन बिधूना औरैया।
11. अध्यक्ष/महामंत्री जिला सिविल बार एसोसिएशन, औरैया।
12. जिला सूचना अधिकारी, औरैया को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना जनपद के समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

20/04/2024
जनपद न्यायाधीश
औरैया।
20/4/24